तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/804/2005/जयपुर** **सरकार बनाम खेमचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

उपस्थित :

श्रीमती अर्चना गौतम, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 20—02—2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर(तृतीय), जयपुर ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 04—12—2004 द्वारा माननीय मंडल न्यायालय को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बस्सी ने जरिए क्रमांक भू.आ./98/2379 दिनांक 25—06—1998 से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि खतौनी जमाबन्दी संवत् 2019 ग्राम रामसिंहपुरा तहसील बस्सी स्थित आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल 3 बीघा माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके आमेर बहतमाम पुजारी सुरजनदास चेला चतुरदास कौम ब्राह्मण सा आमेर की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में भौरिया पुत्र गंगल्या कौम धानका सा.देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2023—26 बनाते समय माफी मन्दिर श्री सीमारामजी वाके आमेर का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त आराजी की खातेदारी बिना किसी वैध आदेश के कृषक भौरिया पुत्र गंगल्या जाति धानाक सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार भौरया के फौत होने पर विरासत नामान्तरण संख्या 87 से रूगनाथ पुत्र भौरिया के नाम दर्ज कर दी गई तथा रूगनाथ पुत्र भौरिया द्वारा भूमि का बेचान किए जाने पर जरिए नामान्तरण संख्या 123 दिनांक 25—11—1989 से रूगनाथ के बजाय खेमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामसिंहपुरा के हक में दर्ज कर दी गई। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2052—55 में उक्त आराजी खेमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा की खातेदारी में दर्ज हो गई जो कि गलत है। इस प्रकार वर्तमान में भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध होने से खारिज योग्य है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरण नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार, मूर्ति अल्प वयस्क में निहित है। अतः अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई उक्त खातेदारी को निरस्त कर उक्त आराजी पुनः माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके आमेर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/804/2005/जयपुर</u>** **सरकार बनाम खेमचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई ।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके आमेर की खातेदारी में दर्ज थी तथा सम्वत 2021 में बिना किसी आधार व आदेश के नियम विपरीत माफी मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए उक्त आराजी की खातेदारी कृषक भौरिया पुत्र गंगल्या के नाम दर्ज कर दी गई। वर्तमान में भूमि खेमचन्द की खातेदारी में दर्ज है।

उनका तर्क है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीधा 18 बिस्वा कुल 3 बीघा माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके आमेर बहतमाम पुजारी सुरजनदास चेला चतुरदास कौम ब्रा0 सा. आमेर की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में भौरया पुत्र गंगल्या कौम धानका सा.देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 बनाते समय माफी मन्दिर श्री सीताराम जी वाके आमेर का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त आराजी की खातेदारी बिना किसी वैध आदेश के कृषक भौरिया पुत्र गंगल्या जाति धानका सा. देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार भौरया के फौत होने पर विरासत नामान्तरण संख्या 87 से रूगनाथ पुत्र भौरया के नाम दर्ज कर दी गई तथा रूगनाथ पुत्र भोरया द्वारा भूमि का बेचान किये जाने पर जरिये नामान्तरण संख्या 123 दिनांक 25–11–89 से रुगनाथ के बजाय खेमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामसिंहपुरा के हक में दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2082–85 में उक्त आराजी खेमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार की गई कार्यवाही विधि विपरीत है तथा प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है। मंदिर मूर्ति नाबालिग है और नाबालिग के अधिकार किसी को भी हस्तान्तरित नहीं हो सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 (ए) के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है और इसी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नाबालिग द्वारा करवाई गई काश्त उसके स्वयं द्वारा की गई काश्त ही मानी जावेगी। नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं और यदि खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो भी गए हैं तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे। अप्रार्थी पक्ष द्वारा बावजूद सूचना के अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है और न ही वह बाद में नियत दिनांक पर उपस्थित आए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके आमेर की खातेदारी की है। विवादित मामले में रिकार्ड में जो रद्दोबदल हुआ है वह बिना किसी विधिक/आदेश के नियम विपरीत हुआ है और इस प्रकार के मामलों में कोई समय सीमा भी बाधक नहीं है। माफी मन्दिर की भूमि से निजी खातेदारों के नाम हटाने के लिए सबसे प्रभावी कार्यवाही धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रेफरेन्स करना ही है। अतः ग्राम रामसिंहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/804/2005/जयपुर** **सरकार बनाम खेमचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कुल 3 बीघा भूमि वापिस माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके आमेर के नाम लगाने तथा उसके पश्चात किये गये इन्द्राजात एवं नामान्तरण संख्या 87 व 123 को निरस्त करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली आदेश की तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर भेजी जावे। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त विवादित भूमि की खातेदारी पुनः मंदिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी एकीकरण संवत् 2019 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीधा 18 बिस्वा कुल 3 बीघा माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके आमेर बहतमाम पुजारी सुरजनदास चेला चतुरदास कौम ब्रा0 सा. आमेर की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में भौरया पुत्र गंगल्या कौम धानका सा.देह का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 बनाते समय माफी मन्दिर श्री सीताराम जी वाके आमेर का नाम विलोपित कर दिया गया और उक्त आराजी की खातेदारी बिना किसी वैध आदेश के कृषक भौरिया पुत्र गंगल्या जाति धानका सा. देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार भौरया के फौत होने पर विरासत नामान्तरण संख्या 87 से रूगनाथ पुत्र भौरया के नाम दर्ज कर दी गई तथा रूगनाथ पुत्र भोरया द्वारा भूमि का बेचान किये जाने पर जरिये नामान्तरण संख्या 123 दिनांक 25–11–89 से रुगनाथ के बजाय खेमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामसिंहपुरा के हक में दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2082–85 में उक्त आराजी खेमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा की खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान सेटलमेंट के अनुसार विवादित आराजीयात अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है जो अनुचित एवं अवैध है। चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातांरित नहीं की जा सकती है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/804/2005/जयपुर** **सरकार बनाम खेमचंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकार से प्राप्त हो गये हैं तो वे प्रभाव शून्य माने जावेंगे। अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 27 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल 3 बीघा आराजी की खातेदारी बिना किसी वैध आदेश के कृषक भौरिया पुत्र गंगल्या जाति धानका सा.देह के नाम दर्ज कर दी गई। खातेदार भौरया के फौत होने पर विरासत नामान्तरण संख्या 87 से रूगनाथ पुत्र भौरिया के नाम दर्ज कर दी गई तथा रूगनाथ पुत्र भौरिया द्वारा भूमि का बेचान किए जाने पर जरिए नामान्तरण संख्या 123 दिनांक 25–11–1989 से रूगनाथ के बजाय खेमचन्द पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी रामसिंहपुरा के हक में दर्ज की गई खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को पुनः मंदिर श्री माफी मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया ।

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य